संख्या-61/2019/2548/71-2-19-आर0एम-26/2016-टी0सी0

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

विषयः- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय के विलय के पश्चात संस्थान में गैर शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत प्रभारी ब्लड बैंक/वरिष्ठ पैथोलाजिस्ट के पद के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3068/Estb(Gen)/RMLIMS/2019, दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय का विलय डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ में होने के फलस्वरूप गैर शैक्षणिक संवर्ग के प्रभारी ब्लड बैंक/वरिष्ठ पैथोलाजिस्ट के 01 पद, को अस्थायी रूप से दिनांक 29-02-2020 तक के लिए, बशर्ते इस पद को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्र0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान 7वें (वेतन मैट्रिक्स में)	शैक्षणिक अर्हता
1	प्रभारी ब्लड बैंक/वरिष्ठ पैथोलाजिस्ट	01	लेवल-10	एम0बी0बी0एस0
	कुल	01		

3- सृजित किये जा रहे पद के संबंध में बतायी गयी आवश्यकता एवं मानक/शैक्षिक अर्हता/भर्ती का स्रोत आदि के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का होगा।

4- इस पद पर भर्ती/नियुक्ति की कार्यवाही निर्धारित व्यवस्था/नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0325-डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1559/दस/2019, दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-61/2019/2548(1)/71-2-19-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
3) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4) प्रमुख सचिव, चिक्तिसा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7) वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8) निजी सचिव मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
9) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (वे0आ0-1/वित्त (आय-व्ययक)-1
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।